



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2005

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 33940 वर्ष 2025

टिंकू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: बृजेश कुमार पांडे, उत्कर्ष पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजेंद्र त्रिपाठी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-

आवेदक टिंकू की ओर से दायर की गई है, जिसमें अवर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दौरान मुकदमा अपराध संख्या 412/2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 333, 74, 76 और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 7/8 के तहत मामले में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 11.7.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर के विवरण और धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़ित के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। इस मामले में आरोपपत्र 1.8.2025 को दाखिल किया गया था और इस पर संज्ञान 25.8.2025 को लिया जा चुका है। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि धारा 7/8 पीओसीएसओ अधिनियम के तहत अधिकतम सजा पांच साल तक है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त मामले में आरोपित आवेदक **टिंकू** को, मुकदमा अपराध संख्या के संबंध में, व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, प्रत्येक समान राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक ट्रायल न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।